

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

No. 46/2019–Central Tax

G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from October, 2019 to March, 2020 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2019 to March, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 20/06/07/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2019

सं. 47/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 770(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 के उप नियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन देय तारीख के पहले वार्षिक विवरणी नहीं दी है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के संबंध में ऐसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे कि उक्त व्यक्तियों को उक्त नियमों के नियम 80 के उपनियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी देने का विकल्प होगा :

परंतु उक्त विवरण को, यदि देय तारीख के पहले नहीं दी गई है, देय तारीख पर दी गई समझा जाएगा ।

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

No. 47/2019–Central Tax

G.S.R. 770(E).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies those registered persons whose aggregate turnover in a financial year does not exceed two crore rupees and who have not furnished the annual return under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) before the due date, as the class of registered persons who shall, in respect of financial years 2017-18 and 2018-19, follow the special procedure such that the said persons shall have the option to furnish the annual return under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules:

Provided that the said return shall be deemed to be furnished on the due date if it has not been furnished before the due date.

[F. No. 20/06/07/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2019

सं. 48/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 771(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 41/2019 केन्द्रीय कर, तारीख 31 अगस्त, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.संख्यांक 618(अ), तारीख 31 अगस्त, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में –

(क) खंड (ii) में "20 सितम्बर" अंकों और शब्द के स्थान पर "11 अक्तूबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

“(v) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररूप जीएसटीआर-1** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास अगस्त, 2019 के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदाय के व्यौरों सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से, 11 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(vi) उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, से उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररूप जीएसटीआर-7** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए उक्त नियमों के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-7** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 10 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(vii) उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, से उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररूप जीएसटीआर-7** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास अगस्त, 2019 के लिए उक्त नियमों के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-7** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 10 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(viii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 20 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ix) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास अगस्त, 2019 के लिए उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 20 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं।

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव